उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 अंक 20 16-31 अक्टूबर 2023 ₹ 20/-

कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड

- उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे बंद करने पर बवाल
- गाजा में युद्धविराम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित
- कुवैत में भ्रष्टाचार के आरोप में सात न्यायाधीशों को सजा
- कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

संघ प्रमुख के विजयादशमी उद्‌बोधन पर उर्दू मीडिया का निशाना 04
उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे बंद करने पर बवाल 09
कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटा 12
कर्नाटक में भाजपा से गठजोड़ पर जेडीएस में घमासान 13
एनसीईआरटी की पुस्तकों में इंडिया के बजाय होगा भारत का उल्लेख 14

विश्व

गाजा में युद्धविराम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित 17
पाकिस्तान में नवाज शरीफ के फिर से सत्ता में आने की संभावना 19
इंडोनेशिया में आतंकियों के खिलाफ अभियान 21
फ्रांस में एक आतंकी द्वारा अध्यापक की हत्या 22
फिलिस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन करने वालों का वीजा रद्द करने की धमकी 22
बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन 23

पश्चिम एशिया

कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड 24
इजरायल-हमास युद्ध 26
सद्दाम हुसैन की बेटी को सात साल की सजा 28
इजरायल-हमास के युद्ध से तेल के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना 29
कुवैत में भ्रष्टाचार के आरोप में सात न्यायाधीशों को सजा 29

सारांश

हाल ही में अरब देशों के समूह की ओर से जॉर्डन ने इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम से संबंधित एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने मतदान किया। जबकि अमेरिका समेत 14 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। वहीं, भारत समेत 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इजरायल ने इस प्रस्ताव को मानने से ही इंकार कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि आक्रांता हमास है और इस प्रस्ताव में उसकी निंदा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देते, तब तक हमारा यह युद्ध जारी रहेगा। बड़ी अजीब बात है कि भारत के अधिकांश मुसलमान, कांग्रेसी और सेक्युलर संगठनों द्वारा मोदी सरकार की इस बात के लिए आलोचना की जा रही है कि उसने इजरायल का समर्थन करने की घोषणा क्यों की है? उनका यह भी आरोप है कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन समर्थक अपनी विदेश नीति में परिवर्तन कर लिया है। जबकि भारत सरकार का यह साफ कहना है कि वह अब भी आजाद फिलिस्तीनी सरकार का समर्थक है, लेकिन वह आतंकवाद के भी सख्त खिलाफ है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुजफ्फरनगर जिले के कुछ मदरसों से उनके पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों और आर्थिक संसाधनों के बारे में जानकारी मांगी थी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इन मदरसों को जारी नोटिस में कहा गया था कि अगर वे इस नोटिस का निर्धारित समय में उत्तर नहीं देते हैं तो उन्हें अपने मदरसे बंद करने होंगे, वरना उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित मदरसों को विदेशों से मिलने वाले चंदे और उसके इस्तेमाल के बारे में जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम संगठनों ने भारी बवाल मचाया। अखिल भारतीय मदरसा इस्लामिया की प्रबंध समिति का एक अधिवेशन देवबंद में आयोजित हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित करके सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला इस्लाम और दीन के खिलाफ है। इस प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया गया कि इस फैसले से भारतीय संविधान का भी उल्लंघन होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि कोई भी संप्रदाय अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकता है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संगठन ने देश भर के इस्लामी मदरसों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की सरकारी सहायता न लें। अगर वे सरकारी सहायता लेते हैं तो उनके आंतरिक मामलों में सरकार को अनुचित हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा।

कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में जो फांसी की सजा दी है, उसकी देश भर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया है कि आरोपी भारतीय नागरिकों को कानूनी और राजनयिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस घटना का लाभ उठाकर उर्दू के कुछ अखबारों ने यह आरोप लगाया है कि क्योंकि मोदी सरकार ने हमास-इजरायल के युद्ध में इजरायल का खुलकर समर्थन किया है, इसलिए कतर सरकार ने बदले की भावना से यह कार्रवाई की है। इन अखबारों ने अपने संपादकीय में नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी निशाना साधा है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साढ़े चार साल विदेश में निर्वासित जीवन बिताने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उन्हें इमरान खान सरकार के शासनकाल में विभिन्न अदालतों ने सात वर्ष कैद की सजा सुनाई थी और उन्हें किसी भी राजनीतिक पद के लिए आजीवन अपात्र घोषित किया था। अब पंजाब सरकार की मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया है कि उन्हें अदालत ने जो सजा दी है उसे निलंबित रखा जाए। इस फैसले से नवाज शरीफ के राजनीति में फिर से सक्रिय रूप से भाग लेने की संभावना बढ़ गई है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में कदम रखते ही लाहौर में एक जनसभा करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसमें लाखों लोगों के भाग लेने का दावा किया गया है। पाकिस्तानी अखबारों के अनुसार पाकिस्तान में बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए सर्वशक्तिमान पाकिस्तानी सेना ने नवाज शरीफ को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया है। क्योंकि इमरान खान से पाकिस्तानी सेना का मोहभंग हो चुका है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मुकदमे विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं।

संघ प्रमुख के विजयादशमी उद्‌बोधन पर उर्दू मीडिया का निशाना

उर्दू टाइम्स (26 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी परंपरा के अनुसार ही दशहरे के अवसर पर अपना भाषण दिया है। इस भाषण का खास महत्व है। क्योंकि आरएसएस का गठन विजयादशमी के दिन ही किया गया था। मोहन भागवत ने अपने भाषण में मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और यह दावा किया कि देश भर में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। उन्होंने देश में फैली महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं और भुखमरी की ताजा रिपोर्ट के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि, मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र जरूर किया है। उन्होंने मणिपुर में सात महीने से चल रही हिंसा पर उठ रहे प्रश्नों को नजरअंदाज करते हुए सरकार को क्लीन चिट देते हुए यह बताया है कि मणिपुर की हिंसा में 'विदेशी शक्तियों' का हाथ है। सवाल यह है कि ये ताकतें कौन हैं? और जानबूझकर वे मणिपुर की मिली जुली सरकार को क्यों कमजोर कर रही हैं? भाजपा की सरकार में 'विदेशी ताकतों का हाथ' की थ्योरी इतनी लोकप्रिय है जितना इससे पहले कभी नहीं थी। जिस भी मोर्चे पर सरकार विफल रहती है, 'विदेशी ताकतों' पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। मणिपुर में पिछले सात महीनों से हालात बेकाबू हैं और यह सब तब हो रहा है जब इस राज्य में 'डबल इंजन' की सरकार है। अगर यह मान लिया जाए कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं तो केंद्र और राज्य सरकार क्या कर रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी अब तक के सबसे ताकतवर और हिम्मत वाले प्रधानमंत्री समझे जाते हैं। उनके होते हुए किसी बाहरी ताकत की यह मजाल कि वह हिंदुस्तान के एक राज्य में हिंसा का बाजार गर्म करे।

समाचारपत्र का कहना है कि भाजपा की सरकार गठित होने से पहले मणिपुर में शांति थी।

फिर ऐसा क्या हुआ? यहां तक कि मणिपुर के सवाल पर संसद में भी हंगामा रहा। मगर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अब हालत यह है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री तक ने कह दिया है कि वे प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। इसकी वजह उन्होंने मणिपुर के हालात बताए। मणिपुर की हिंसा के पीछे कौन थे यह जानने के लिए 'एडिटर्स गिल्ड' की एक 'फैक्ट फाइंडिंग टीम' मणिपुर गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को इस हिंसा के लिए दोषी ठहराया। मगर भाजपा की राज्य सरकार ने इसे मानने से साफ इंकार कर दिया और इस टीम के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मणिपुर की भाजपा सरकार अपने ही देश के एडिटर्स गिल्ड जैसे संगठन की रिपोर्ट के खिलाफ है और मोहन भागवत बाहरी हाथ की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने मणिपुर दौरे के बाद कहा था कि यह हिंसा दो समुदायों के बीच है और इसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हाथ नहीं है। अब हम आरएसएस के मुखिया की बात को सही समझें या अपने सेना प्रमुख की बात को। आरएसएस अपने स्थापना के सौ साल पूरे करने जा रही है और उसके इस तरह के जवाब से सियासत में उसकी भूमिका कमजोर साबित हो रही है। क्योंकि दशहरा रैली का भाषण पूरी तरह से राजनीतिक भाषण था।

समाचारपत्र का कहना है कि अगले साल संगठन का शताब्दी समारोह मनाने में जुटे मोहन भागवत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जात-पात कुछ नहीं है और हम सभी हिंदुस्तानी हैं। यह बात उसी समय सही साबित हो सकती है जब वे जनता के बीच जाएं। वरना तो दशहरे के दिन अच्छी-अच्छी बातें करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराईयों को दूर करना उससे भी अच्छी बात है।

हमारा समाज (26 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि दशहरे के अवसर पर आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में हर साल एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। यहां पर संघ के सरसंघचालक नियमित रूप से शस्त्रों की पूजा करते हैं और फिर उनका एक भाषण होता है। इस साल भी ऐसा ही हुआ। शस्त्र पूजा के कार्यक्रम के बाद रेशिम बाग मैदान में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा, लोकसभा के चुनाव, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और इजरायल-फिलिस्तीन के युद्ध की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया आतंकवाद से परेशान है और वह बार-बार भारत की ओर देख रही है कि वह पूरी दुनिया को शांति का फॉर्मूला दे, जिससे पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सके।

भागवत ने दावा किया कि मणिपुर की हिंसा एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय वर्षों से एक साथ रहते आ रहे हैं। इनके बीच सांप्रदायिक हिंसा कैसे शुरू हुई? जाहिर सी बात है कि सीमा पार की ताकतों का हाथ इस हिंसा के पीछे है। संघ

जैसे संगठन को जो वर्षों से जन सेवा में कार्यरत है, उसे बिना किसी वजह के इस हिंसा में घसीटा गया। हालांकि, यह बात समझनी चाहिए कि मणिपुर में अशांति और अस्थिरता से विदेशी शक्तियों को लाभ हो सकता है। समाचारपत्र का कहना है कि मोहन भागवत यह जानते हैं कि उनके इस संबोधन को पूरा देश बड़े ही ध्यान से सुनता है। लेकिन देश की जनता इतना नादान भी नहीं हैं कि वह यह भी न जानती कि मणिपुर में सात महीने से हिंसा का जो बाजार गर्म है उसके लिए राज्य की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि सेना के सबसे बड़े प्रमुख ने पहले ही यह बयान दे दिया है कि मणिपुर में किसी विदेशी शक्ति का हाथ नहीं है। मणिपुर की समस्या राजनीतिक है और इसका समाधान राजनीतिक वार्ता से ही निकाला जा सकता है। लेकिन अब मोहन भागवत मणिपुर में विदेशी हाथ देख रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हमें अपने सेना प्रमुख की जगह मोहन भागवत के बयान पर भरोसा करना होगा। आरएसएस अपनी छवि को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अस्त्र-शस्त्रों की पूजा करने के बाद शांति की बात करने वालों की बातों का क्या असर होता है, वही असर मोहन भागवत की बातों का भी होगा। क्योंकि जिस दिन मोहन भागवत आरएसएस को एक महान संगठन घोषित कर रहे थे उसी दिन केरल के त्रावणकोर क्षेत्र में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले संगठन त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करते हुए मंदिर परिसर में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह सर्कुलर केरल की वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार ने जारी नहीं किया है, बल्कि केरल के सैकड़ों मंदिरों की देखभाल करने वाले बोर्ड ने इस सर्कुलर को जारी करके यह साफ कर दिया है कि आरएसएस का मंदिरों की पवित्रता से कुछ लेना-देना नहीं है और वह वहां भी अपने आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को चलाती है। इसलिए मोहन भागवत ने अपने संबोधन में मणिपुर की हिंसा में न केवल विदेशी शक्तियों का हाथ ढूंढ लिया, बल्कि वामपंथी चिंतन को भी अपना निशाना बनाया।

इत्तेमाद (25 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि दशहरे के अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं उनसे ऐसा लग रहा था कि या तो वे प्रधानमंत्री मोदी की तरह आसानी से झूठ बोलना सीख गए हैं या वे देश के वर्तमान हालात से इतने दूर हो चुके हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि इस देश में कौन क्या कर रहा है। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि उन्हें आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर गर्व है, जिन्होंने मणिपुर में शांति स्थापित के लिए काम किया। उन्होने यह भी कहा कि कुछ लोग 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व जनता की भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। उससे जनता को सावधान रहना चाहिए। संघ प्रमुख ने देश की जनता से देश की एकता, अखंडता और विकास को दृष्टि में रखते हुए वोट डालने की अपील की।

समाचारपत्र का कहना है कि मोहन भागवत के इन बातों से यह अनुमान होता है कि या तो वे नावाकिफ होने का नाटक कर रहे हैं या तो वे अपने भाषण द्वारा आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मोहन भागवत इस बात से वाकिफ नहीं है कि चुनाव से पूर्व वोट प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक जुमलेबाजी करके कौन लोग जनता की भावनाओं को भड़काते हैं? मोहन भागवत के इन बयानों से यही लगता है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से माहौल बनाने का खेल शुरू कर चुके हैं। अगर नहीं, तो उन्हें अपनी कथनी को समक्ष रखते हुए ऐसे तत्वों का समर्थन नहीं करना चाहिए जो जनता के वोटों को प्राप्त करने के लिए उनकी भावनाओं

को भड़काते हैं और नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश का बहुमत हिंदू है और उसका बहुत बड़ा वर्ग शांतिप्रिय हैं। वे इस बात से भी भलीभांति वाकिफ हैं कि विभिन्न धर्मों वाले समाज में कैसे मिलजुलकर रहना है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी तत्व सत्ता पर कब्जा करने के लिए समाज में नफरत फैला कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं। अगर उनके सिर से आरएसएस अपना हाथ उठा ले और शांति व एकता पसंदों के साथ आ जाए तो निश्चित रूप से जनता की भावना को भड़काने वालों के हौंसले पस्त हो जाएंगे।

अवधनामा (24 अक्टूबर) में प्रकाशित अपने लेख में डॉ. सलीम खान ने कहा है कि संघ प्रमुख ने रामायण की कथा की चर्चा करते हुए अपने विजयादशमी उद्बोधन में कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम धर्म की मर्यादा के अवतार हैं। हमें उनका अनुसरण करके देश को कट्टरवाद से बचाना है। क्योंकि इससे धार्मिक उत्तेजना पैदा होती है। सरसंघचालक के मुंह से निकले ये शब्द रावण के मुंह से रामायण के प्रवचन जैसे हैं। राम के नाम पर कट्टरवाद और उत्तेजना फैलाना संघ परिवार का मुख्य कार्य है। अयोध्या से काशी और मथुरा तक यह खेल जारी है। यह तो 'दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत' वाला मामला है। मोहन भागवत के अनुसार संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम की तस्वीर है और उनका भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। हालांकि, यह बात ठीक है कि बाबरी मस्जिद की जमीन पर जबरन कब्जा करके बनाए जा रहे मंदिर में जबर्दस्त भ्रष्टाचार हो रहा है।

लेखक का कहना है कि मोहन भागवत ने आने वाले साल के 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का ऐलान कर दिया है। मुहूर्त तो खैर गणतंत्र दिवस से चार दिन पहले का ही निकाल लिया है। लेकिन वे भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जनता को संबोधित करते हैं। अगर अब मोदी गणतंत्र दिवस पर भी लाल किले से अपना भाषण दे दें तो उन्हें कौन रोकेगा? मोहन भागवत को मंदिर के उद्घाटन पर बुलाए जाने का यकीन नहीं है। क्योंकि मोदी जी कैमरों को अपने ऊपर ही केंद्रित रखते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को उसके आसपास देखना बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि, प्रधानमंत्री पर हमेशा चुनाव का भूत सवार रहता है, लेकिन इस बार सरसंघचालक मोहन भागवत ने विशुद्ध राजनीतिक भाषण करके मोदी जी को भी शर्मिंदा कर दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि हर साल देश का गौरव बढ़ रहा है। जी20 के आयोजन में पूरी दुनिया ने भारत की मेजबानी का लोहा मान लिया है।

लेखक का कहना है कि हैरानी की बात यह है कि दुनिया के अतिथि सत्कार से प्रभावित होने वाले मोहन भागवत को भुखमरी के मैदान में भारत का बढ़ता हुआ स्थान नजर नहीं आया और न ही उन्हें गरीबी से जूझ रहे लोगों पर ही रहम आया है। यह कैसी उड़ान है, जिसमें अडाणी और अंबानी आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और बेरोजगार नौजवान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वह कौन सी सियासी महारत है जो पूंजीपति दोस्तों का तो 55 लाख करोड़ का कर्जा माफ करवा देती

है, लेकिन किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ता है। विश्व में मेडल जीतने वाली महिला पहलवानों के साथ इनकी सरकार ने क्या व्यवहार किया था, वह सभी लोगों को मालूम है। जब ये पहलवान अपने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे तो संघ परिवार क्यों चुप रहा? जब देश के गृह मंत्री की पुलिस उन पर लाठियां चला रही थीं तो उस समय संघ परिवार के लोग कहां थे? भाजपा न सही तो कम-से-कम आरएसएस को तो इस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन वह भी गोदी मीडिया की तरह दम साधे बैठा रहा।

लेखक ने यह दावा किया है कि पहले संघ की रहनुमाई में ही भाजपा काम करती थी, लेकिन अब आरएसएस सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। मोदी जी ने शतरंज की बिसात ही उलट दी है। मणिपुर की हिंसा के दौरान संघ प्रमुख ने असम का दौरा तो किया था, लेकिन न तो वे दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में गए और न ही उनके बारे में कोई टिप्पणी की? हां, उन्होंने अपने स्वंयसेवकों को संबोधित करते हुए यह जरूर पूछा कि पहले मणिपुर शांतिपूर्ण था और अचानक आपसी फूट की आग कैसे लग गई? यह सवाल उन्होंने गलत लोगों से पूछा। उन्हें स्वयंसेवक के बजाय यह सवाल भाजपा के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से पूछना चाहिए था। क्योंकि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेवारी है। कुकी समुदाय के प्रमुख ने मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया है कि वही राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़का रहे हैं। मोहन भागवत ने दूसरा सवाल यह किया कि मणिपुर की हिंसा के पीछे सीमा पार के आतंकवादी तो नहीं थे? यह सवाल तो उन्हें देश के गृह मंत्री या रक्षा मंत्री से करना चाहिए था। क्योंकि विदेशी आतंकियों को देश में दाखिल होने से रोकना उनकी जिम्मेवारी है।

लेखक ने कहा है कि अब मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी भागवत का बयान सुनने के बाद विदेशी शक्तियों का राग छेड़ दिया है। वैसे अगर मोहन भागवत की बात मान भी लिया जाए तो ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने का क्या हक है जो अपने ही पार्टी के विधायकों को राज्य की राजधानी में विदेशी शक्तियों की मारपीट से न बचा सके। क्या उन्हें बर्खास्त नहीं कर दिया जाना चाहिए? डबल इंजन की सरकार में ये दोनों जिम्मेवारी भाजपा के ऊपर है। मोहन भागवत की दलील ने भाजपा की कठिनाईयों में बढ़ोतरी ही की है।

उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे बंद करने पर बवाल

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा मुजफ्फरनगर जिले के लगभग एक दर्जन मदरसों को नोटिस भेजकर यह निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिनों के अंदर पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज पेश करें, वरना उन पर दस हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। यह नोटिस बेसिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि क्योंकि ये मदरसे बिना मंजूरी के अवैध रूप से चल रहे हैं, इसलिए इन्हें ये नोटिस जारी किया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 24 हजार मदरसे हैं, जिनमें से 16 हजार मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और आठ हजार मदरसे गैर-मान्यता प्राप्त हैं। मदरसों को जो नोटिस भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि अगर ये मदरसे बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त हैं तो मदरसों के प्रबंधक पंजीकरण से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर मदरसों के प्रबंधकों ने पंजीकरण का रिकॉर्ड नहीं दिखाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समाचारपत्र का दावा है कि इस नोटिस के मिलने के बाद मदरसों के अध्यापकों और प्रबंधकों में भारी गुस्सा है। जमीयत उलेमा ने इन मदरसों के प्रबंधकों के साथ एक बैठक की है। जमीयत उलेमा के सचिव कारी जाकिर हुसैन ने कहा है कि दीनी मदरसों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये मदरसे आजादी के पहले से ही चलते आ रहे हैं और ये स्कूलों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बावजूद इन मदरसों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जमीयत उलेमा, मुजफ्फरनगर के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात करके उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन में मदरसों को भेजे गए नोटिस पर विरोध प्रकट किया गया है। इस मुलाकात के बाद कारी जाकिर हुसैन ने कहा कि बच्चों के जिस मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा

अधिनियम 2009 के तहत मदरसों को नोटिस दिए गए हैं, उस अधिनियम में 2012 में संशोधन किया गया था और उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि यह कानून मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है।

अवधनामा (26 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि 1985 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद प्रदेश में चलाए जा रहे सभी मदरसे इस विभाग को स्थानांतरित कर दिए गए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में भी संशोधन किया गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसों की पहचान, प्रबंधन और उनमें काम करने वाले लोगों के लिए सेवा नियम बनाए गए। तभी से ये मदरसे अल्पसंख्यक विभाग के तहत चलाए जा रहे हैं। इस कानून में शिक्षा विभाग द्वारा इन मदरसों की जांच करने या उन्हें किसी तरह का नोटिस दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर शिक्षा विभाग उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस देता है तो वह गैरकानूनी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 अक्टूबर) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद में अखिल भारतीय मदरसा इस्लामिया की प्रबंध समिति के अधिवेशन को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इन मदरसों का इस्लाम का प्रचार और मुसलमानों के दीनी प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मगर इस समय देश में जो माहौल चल रहा है वह इस्लाम, मुसलमानों और मदरसों के लिए बेहद कठिन है। उन्होंने कहा कि किसी भी मदरसे को सरकारी अनुदान हरगिज नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इससे सरकार को मदरसों के मामले में दखल देने का मौका मिल जाएगा।

इंकलाब (26 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं मदरसा अध्यापकों के संगठन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने मदरसों को जो नोटिस जारी किए हैं, वह असंवैधानिक है। मदरसा अध्यापकों के अखिल भारतीय संगठन के महासचिव वहीदुल्लाह खान सईदी का कहना है कि कुछ अधिकारी जानबूझकर मदरसों को बंद करवाने पर तुले हुए हैं। इसलिए वे गैर-कानूनी तरीके से मदरसों के प्रबंधकों को परेशान कर रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के इस्लामी मदरसों को विदेशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश एटीएस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। उत्तर प्रदेश एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक मोहित अग्रवाल ने कहा है कि हम इस बात की जांच करेंगे कि विदेशों से इन मदरसों को जो आर्थिक सहायता मिलती है उसका इस्तेमाल मदरसों के लिए किया जाता है या किसी अन्य काम के लिए। उन्होंने कहा कि इस जांच के लिए अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एसआईटी ने पहले भारत-नेपाल सीमा पर चल रहे इस्लामी मदरसों की जांच करने का फैसला किया है। विदेशी सहायता लेने वाले ये मदरसे बिना सरकारी मान्यता के काम कर रहे हैं। ये मदरसे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बहराइच के सीमावर्ती जिलों में स्थित हैं। हाल ही में इनकी संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है और इन्हें विदेशी स्रोतों से भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इस बात की भी शिकायत मिली है कि इस धनराशि का उपयोग शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है।

सियासत (23 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को छात्रों के एक समूह को स्कूल परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति

देने पर निलंबित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरूण कुमार ने बताया कि इस बात की सूचना मिली थी कि लखनऊ के एक प्राथमिक विद्यालय के परिसर में कुछ बच्चों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी निर्देशों के अनुसार किसी भी सरकारी स्कूल में नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती है। जांच के बाद इस स्कूल की प्रिंसिपल मीरा यादव को निलंबित कर दिया गया है और दो अन्य शिक्षिकाओं को भी सख्त चेतावनी दी गई है।

सियासत ने इस समाचार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति बड़ी अजीब है। एक ओर तो लखनऊ के एक स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ने की अनुमति देने पर प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया जाता है। वहीं, गाजियाबाद स्थित एक कॉलेज के समारोह में मंच से जब एक छात्र जय श्रीराम का नारा लगाता है और शिक्षिका उसे मंच से उतर जाने को कहती है तो उस शिक्षिका को ही निलंबित कर दिया जाता है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मदरसे फिर से योगी सरकार के निशाने पर हैं। ताजा समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश में मदरसों को विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में जांच की जाएगी और इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। यह पहला अवसर नहीं है जब योगी सरकार ने मदरसों की जांच पड़ताल कराई हो। इससे पहले भी वह राज्य भर के मदरसों का सर्वेक्षण करवा चुकी है। हालांकि, तब यह बताया गया था कि इस सर्वेक्षण के जरिए इस बात का पता लगाया जाएगा कि ये इस्लामी मदरसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्धारित मानकों के तहत काम कर रहे हैं या नहीं? लेकिन सरकार का असली उद्देश्य यह था कि इन मदरसों के आय के स्रोत क्या हैं और ये किस संगठन द्वारा संचालित किए जाते हैं। फिर अचानक विदेशी फंडिंग के नाम पर मदरसों के खिलाफ अभियान क्यों छेड़ा गया है? इस तरह से मदरसों को परेशान किया जा रहा है।

समाचारपत्र का कहना है कि मुख्यमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड मुसलमानों के प्रति अच्छा नहीं रहा है। इसलिए अगर यह कहा जाए कि अब यह जांच वे बदनीयती से करवा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही इन मदरसों के प्रबंधकों को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा। समाचारपत्र ने इन मदरसों से सवाल पूछा है कि क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मदरसे हैं, जिनका हिसाब किताब सही नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि इन मदरसों के प्रबंधकों ने मदरसों की आड़ में अपने नाम से जमीनें खरीद रखी हैं? क्या यह सच नहीं है कि इन मदरसों के लिए जो चंदा आता है, उसमें व्यापक पैमाने पर हेरफेर की जाती है? सवाल यह है कि जो मदरसे पंजीकृत

नहीं हैं, उन्हें अब तक पंजीकृत क्यों नहीं किया गया है?

इत्तेमाद (27 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हिंदुस्तान में दीनी मदरसे गरीब और बेसहारा बच्चों की दीनी और बुनियादी शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा सरकार को यह बात खटक रही है कि ये मदरसे इस्लाम की तरक्की और प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी दीनी मदरसों को एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा हिंदू वोट प्राप्त करने के लिए इस्लामी मदरसों को अपना निशाना बना रही है। प्रशासन ने यह दावा किया है कि इन मदरसों को विदेशी स्रोतों से जो सहायता प्राप्त होती है उसका उपयोग आतंकी गतिविधियों और धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि भारत-नेपाल सीमा पर चार हजार से अधिक इस्लामी मदरसे ऐसे हैं, जिन्हें नियमित रूप से विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है और उनके प्रबंधक इस हिसाब किताब को पेश करने में विफल रहे हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि ये मदरसे भारतीय संविधान के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म की शिक्षा देने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इन मदरसों के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। उन्हें सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटा

औरंगाबाद टाइम्स (24 अक्टूबर) के अनुसार सत्ता में आने के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम छात्राओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है। भाजपा की पुरानी सरकार ने कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर जो प्रतिबंध लगा रखा था उसे अब कांग्रेस की नई सरकार ने हटा दिया है। इससे मुसलमानों ने राहत की सांस ली है। कर्नाटक की सरकार ने यह फैसला लिया है कि परीक्षाओं के दौरान छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा दे सकेंगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर का कहना है कि कुछ लोग हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग परीक्षा में हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों पर आपत्ति करते हैं और माहौल को खराब करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला किया है कि कोई भी छात्र या छात्रा अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर परीक्षा दे सकता है। इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

गौरतलब है कि भाजपा के शासनकाल में हिजाब के प्रश्न पर काफी विवाद खड़ा हुआ था। उडुपी जिले के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को कॉलेज परिसर में दाखिल होने से रोक दिया गया था और बाद में यह प्रतिबंध राज्य के कई जिलों में लगाया गया, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। हालांकि, भाजपा की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था और वह अपनी जिद पर अड़ी रही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने यह आश्वासन दिया था कि अगर वह सत्ता में आएगी तो हिजाब पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे हटा दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में सरकारी तौर पर घोषणा कर दी गई है। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हिजाब के नाम पर फिर से राजनीति शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद आदि हिंदू संगठनों का कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए यह फैसला किया है। हिंदू जनजागरण समिति का कहना है कि राज्य सरकार का यह फैसला संविधान के खिलाफ है।

सियासत (24 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणापत्र में जो वायदा किया था उसे पूरा किया है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस्लाम में हिजाब और पर्दा मजहब का अनिवार्य हिस्सा है और किसी पर कोई भी फैसला जबरन लादना संविधान का खुला उल्लंघन है।

कर्नाटक में भाजपा से गठजोड़ पर जेडीएस में घमासान

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (20 अक्टूबर) के अनुसार लोकसभा के चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठजोड़ करना जनता दल (सेक्युलर) के लिए महंगा साबित हो रहा है। पार्टी के अंदर विद्रोह की आवाजें निरंतर बुलंद हो रही हैं और नेताओं व कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विद्रोहियों में अधिकांश का संबंध मुस्लिम तबके से है। इस बीच यह खबर सामने

आ रही है कि जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने अपनी पार्टी के कर्नाटक अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इब्राहिम केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। सीएम इब्राहिम लगातार जेडीएस और भाजपा गठबंधन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जबकि एचडी देवगौड़ा इस गठबंधन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि देवगौड़ा ने यह घोषणा की कि पार्टी ने कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह निर्णय एक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। इसके बाद एचडी कुमारस्वामी को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। पार्टी के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए सीएम इब्राहिम ने कहा कि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मैं पार्टी क्यों छोड़ूं? उनके इस रूख से एचडी देवगौड़ा और कुमारस्वामी समेत जेडीएस के अन्य नेता भी हैरान रह गए हैं। इब्राहिम ने साफ शब्दों में कहा है कि हम एक सेक्युलर पार्टी हैं और किसी भी हाल में भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। मैं जेडीएस का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हम तय करेंगे कि हमें किसके साथ गठबंधन करना है।

गौरतलब है कि जब एचडी देवगौड़ा ने भाजपा के साथ गठबंधन की घोषणा की तो पार्टी का एक बड़ा वर्ग इससे हैरान रह गया। यही कारण है कि गठबंधन के फैसले के बाद अब तक सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें से अधिकांश मुसलमान हैं। मैसूर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अब्दुल खादर सहित 100 से अधिक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जेडीएस से त्यागपत्र दे दिया है। अब्दुल खादर का कहना है कि भाजपा और आरएसएस पूरे देश में मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है और नफरत की राजनीति कर रही है। वे खुलेआम कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। हमें इस बात का दुख है कि अब देवगौड़ा ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। त्यागपत्र देने वाले कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष से भी अनुरोध किया है कि वे पार्टी से तुरंत त्यागपत्र दे दें। हालांकि, एचडी देवगौड़ा ने खुद ही इब्राहिम को पार्टी से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है।

रोजनामा सहारा (26 सितंबर) के अनुसार केरल से जेडीएस के दो विधायकों ने पार्टी हाईकमान को अल्टीमेटम दिया है कि वे भाजपा के साथ गठबंधन के फैसले को बदलें, वरना वे इस पार्टी से अलग हो जाएंगे। इन दो विधायकों में से एक के. कृष्णनकुट्टी केरल सरकार में विद्युत मंत्री हैं। कृष्णनकुट्टी का कहना है कि उनकी पार्टी भले ही एनडीए में शामिल हो गई है, लेकिन वे केरल में सत्तारूढ़ मोर्चे के साथ अपना गठबंधन जारी रखेंगे। वहीं, केरल से जेडीएस के दूसरे विधायक एम.टी. थॉमस ने कहा है कि वे केरल में अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वे इस गठबंधन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी अलग राह खोज रहे हैं।

एनसीईआरटी की पुस्तकों में इंडिया के बजाय होगा भारत का उल्लेख

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की पाठ्यपुस्तकों में अब इंडिया नजर नहीं आएगा, बल्कि इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि अभी तक कमेटी की सिफारिशों पर अंतिम फैसला नहीं किया गया है। गौरतलब है कि एनसीईआरटी की

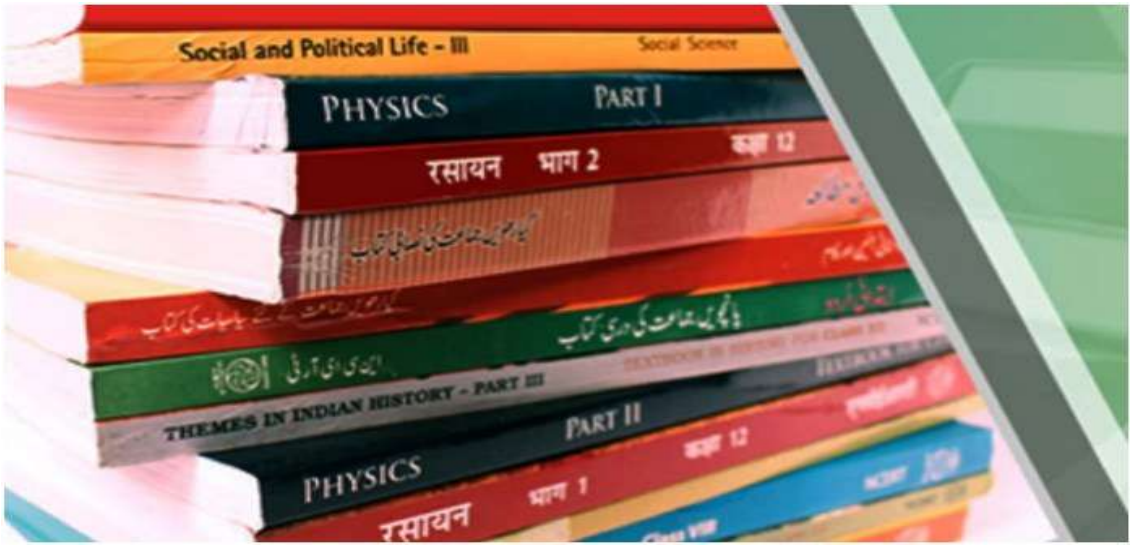

पाठ्यपुस्तकों में इंडिया के बजाय भारत लिखने का फैसला एक उच्चस्तरीय कमेटी ने किया है, जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर पुनर्विचार करने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी ने सिफारिश की है कि प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में देश का नाम इंडिया की जगह भारत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि भारतीय इतिहास में विभिन्न दौर के वर्तमान नामों में संशोधन किया जाए और अब प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

इस कमेटी के अध्यक्ष प्रो. सीआई इस्साक हैं, जिन्हें इस वर्ष मोदी सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। उन्होंने कहा कि भारत के नाम का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। यही नहीं बल्कि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में भारत का नाम इस्तेमाल किया है। यह इस देश का सदियों पुराना नाम है। जबकि इंडिया का नाम तुर्कों, अफगानों और यूनानियों के हमलों के बाद वजूद में आया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में इतिहास में लड़े जाने वाले युद्धों में हिंदुओं की पराजय पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जबकि उनकी विजय को नजरअंदाज किया गया है। हमारी पाठ्यपुस्तकें छात्रों को यह क्यों नहीं सिखातीं कि मोहम्मद गौरी का कत्ल हिंदुस्तानी कबाइलियों ने उस समय किया था, जब वह देश को लूटकर वापस जा रहा था। इसी तरह से त्रावणकोर साम्राज्य ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो विजय प्राप्त की थी उसका भी हमारी पाठ्यपुस्तकों में कोई उल्लेख नहीं है।

रोजनामा सहारा (27 अक्टूबर) के अनुसार एनसीईआरटी के पैनल ने पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने की जो सिफारिश की है, उससे देश में एक बार फिर इंडिया बनाम भारत का विवाद गरम हो गया है। केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा है कि केरल में एनसीईआरटी की संशोधित पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बल्कि केरल सरकार अपने पाठ्यपुस्तकों की रचना स्वयं करेगी। यह पहला अवसर नहीं है जब केरल सरकार ने एनसीईआरटी की सिफारिशों को नजरअंदाज किया हो। इससे पहले भी केरल सरकार ने मुगल इतिहास और गुजरात दंगों से संबंधित कुछ अध्याय अपनी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किए हैं, जिन्हें एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकों से हटा दिया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर एनसीईआरटी देश के इतिहास को विकृत कर रही है तो केरल सरकार ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूलों की

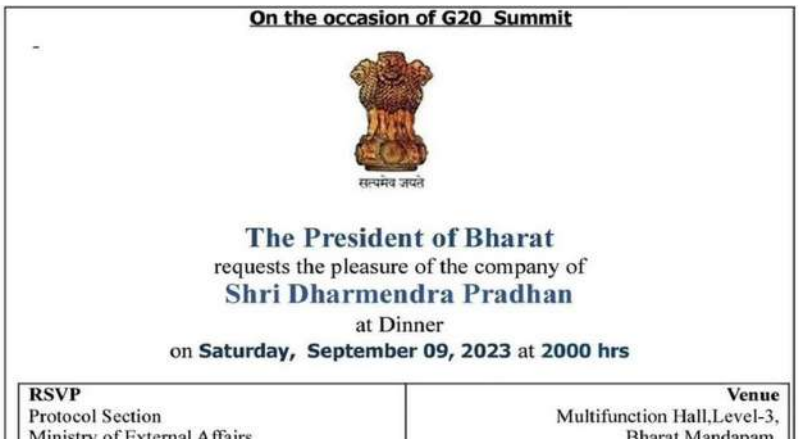

On the occasion of G20 Summit

सत्यमेव जयते

The President of Bharat
requests the pleasure of the company of
Shri Dharmendra Pradhan
at Dinner
on Saturday, September 09, 2023 at 2000 hrs

RSVP	Venue
Protocol Section	Multifunction Hall,Level-3,
Ministry of External Affairs	Bharat Mandapam

पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के लिए कमेटियों का गठन कर रहे हैं, जो केरल की संस्कृति को सामने रखते हुए अपनी सिफारिश देंगी।

सहाफत (27 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने का मामला सरकारी तौर पर उस समय आया जब हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जी20 अधिवेशन के दौरान 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' के बजाय 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' के नाम से आमंत्रण पत्र भेजा गया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेम प्लेट पर इंडिया के बजाय भारत लिखा गया। इसके बाद इस मामले पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, नाम बदलने के पीछे का असली आधार राजनीतिक था, क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम 'इंडिया' रख दिया था। अब एनसीईआरटी की नई सिफारिशों से यह विवाद फिर से तेज हो गया है। कमेटी के अध्यक्ष सीआई इस्साक का कहना है कि भारत सदियों पुराना नाम है और इसका इस्तेमाल विष्णु पुराण जैसे सात हजार वर्ष पुराने ग्रंथों में भी हुआ है। लेकिन प्राचीन काल में आर्यावर्त और ब्रह्मवर्त जैसे नाम इस्तेमाल किए जाते थे। आजादी के बाद इंडिया, भारत और हिंदुस्तान के नाम का इस्तेमाल होने लगा।

समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह कहना सही नहीं होगा कि जो लोग भारत के अलावा दूसरे नाम का इस्तेमाल करते हैं वे कम राष्ट्रभक्त हैं। वैसे भी काफी अरसे से यह देश विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है और आज तक इसके बारे में कोई समस्या पैदा नहीं हुई है। यहां तक कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख है। लेकिन कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और देश का नाम एक ही होना चाहिए। अगर इस तर्क को सही भी मान लिया जाए तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। क्या इससे देश में एकता की भावना उत्पन्न होगी? हालांकि, कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा एक पड़ोसी देश म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। हमारे देश में भी कई राज्यों व नगरों के नाम बदले गए। जैसे मैसूर अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से मद्रास का नाम चेन्नई, बम्बई का नाम मुंबई और कलकत्ता का नाम कोलकाता रखा गया। लेकिन इस पर कोई विवाद भी नहीं हुआ। हालांकि, भारत और इंडिया का मामला अलग है, क्योंकि यह देश का नाम बदलने का मामला नहीं है। भारत अब भी भारत के नाम से जाना जाता है। इसके दूसरे नाम इंडिया, हिंदुस्तान वगैरह हैं।

जहां तक एनसीईआरटी कमेटी की सिफारिशों का संबंध है अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि देश के सभी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत नहीं छपेगा। नई शिक्षा नीति के कारण जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए सभी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों में देश का नाम एक समान रखने की संभावना कम ही दिखाई देती है।

गाजा में युद्धविराम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित

सियासत (29 अक्टूबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अरब देशों द्वारा पेश एक प्रस्ताव को पारित कर दिया है, जिसमें मानवीय आधार पर इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम करने की मांग की गई है। प्रस्ताव में गाजा पट्टी तक बिना रोक-टोक के लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने अपने मत दिए। जबकि 14 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मत डाले। वहीं, भारत समेत 45 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। जिन देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया, उनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और ब्रिटेन आदि शामिल हैं।

जॉर्डन की ओर से प्रस्ताव का जो मसौदा पेश किया गया था, उसमें हमास का कोई उल्लेख नहीं था। इस पर अमेरिका ने विरोध प्रकट किया। कनाडा की ओर से मूल प्रस्ताव में एक संशोधन करने की मांग की गई। इस संशोधन में कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल में शुरू होने वाले हमास के आतंकी हमलों की महासभा निंदा करती है और बंधकों की रिहाई और उनकी सुरक्षा की मांग करती है। भारत समेत 27 देशों ने इस संशोधन के पक्ष में मत दिया। जबकि 55 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया। वहीं, 23 ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस तरह से इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि इसके पक्ष में दो तिहाई मत नहीं पड़े।

उर्दू टाइम्स (29 अक्टूबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिध मुनीर अकरम ने महासभा में भाषण देते हुए फिलिस्तीन में इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों की निंदा की और कहा कि इजरायल की सरकार गाजा में आम लोगों पर हमला करके फिलिस्तीनियों के अधिकारों का हनन कर रही है। गाजा पर इजरायल के हमले फौरन बंद होने चाहिए और फिलिस्तीनियों के लिए सहायता सामग्री पहुंचाने पर किसी तरह की रोक-टोक नहीं होनी चाहिए।

सालार (29 अक्टूबर) के अनुसार भारत सरकार ने मतदान में भाग न लेने के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इस प्रस्ताव में

आतंकवाद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और यह हमारी नीति के अनुसार नहीं है। यही कारण है कि हमने मतदान में भाग नहीं लिया।

उर्दू टाइम्स (30 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि इसमें हमास द्वारा इजरायल पर हमले का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

उर्दू टाइम्स (29 अक्टूबर) के अनुसार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में भारत के भाग न लेने पर हैरानी प्रकट की है और कहा है कि भारत सरकार कोई भी स्पष्ट नीति अपनाने से बच रही है। उन्होंने ट्विटर पर लिखे एक पोस्ट में कहा है कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देती है। मैं हैरान और शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गाजा में युद्धविराम के पक्ष में वोट नहीं दिया।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार नरेन्द्र मोदी और आरएसएस के नेतृत्व में फिलिस्तीन और इजरायल विवाद में गलत दिशा की ओर बढ़ रही है, जिसके परिणाम बेहद चिंताजनक होंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो बयान दिया है वह हमास के विरोध में है और उसकी भाषा बेहद सख्त है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इजरायल के पक्ष में किस तरह से बिछ रहा है। भारत ने हमास की गतिविधियों को आतंकवाद की संज्ञा देते हुए विश्व के देशों से अपील की है कि वे इसके खिलाफ एकजुट हों। इससे साफ है कि भारत सरकार की पुरानी विदेश नीति अब बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसा लगता है कि मोदी की जिद और आरएसएस का इजरायल समर्थक दृष्टिकोण के कारण भारत ने फिलिस्तीन को समर्थन करने वाली पुरानी नीति को छोड़ दिया है। भारतीय नागरिक के तौर पर यह मुसलमानों के लिए बेहद अफसोसजनक है।

समाचारपत्र ने यह भी चेतावनी दी है कि देश में सत्तारूढ़ संघ का ढांचा अब फिलिस्तीन के समर्थन को आतंकवाद घोषित करके व्यापक पैमाने पर देश में भारतीय मुसलमानों और फिलिस्तीन के समर्थकों के खिलाफ जबर्दस्त कार्रवाई करेगा। भाजपाई हिंदुत्व को मुसलमानों पर जुल्मो-सितम और पकड़-धकड़ का एक और हथियार मिल जाएगा। आप सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मुसलमान जिसके दिल में ईमान की हल्की सी भी चिंगारी होगी वह फिलिस्तीन का समर्थन करने से परहेज नहीं करेगा।

सियासत (29 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगया है कि भारत इस मामले में दोगली नीति अपना रहा है। अफसोस की बात यह है कि हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करने और आजाद फिलिस्तीन के पक्षधर हमारे देश ने मतदान में भाग नहीं लिया। जबसे हमास और इजरायल की जंग शुरू हुई है तभी से

एक विशेष वर्ग इजरायल के अतिक्रमण की वकालत कर रहा है। यहां तक कि हमारे मीडिया का दोगलापन भी जोरों पर है। उन्हें हमास के हाथों मारे जाने वाले इजरायलियों की तो फिक्र है, मगर वहां पर जो फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और बच्चों का कत्लेआम हो रहा है उसके बारे में भारतीय मीडिया ने आंखें बंद कर रखी हैं।

इत्तेमाद (30 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भारत ने फिलिस्तीन के बारे में अपनी पुरानी नीति को बदल लिया है। हालांकि, यह हकीकत है कि भारत शुरू से ही फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। मगर केंद्र में एनडीए के सत्ता में आने के बाद यह सारी नीति बदल गई है। भारत सरकार अब किसी भी कीमत पर इजरायल को नाराज नहीं करना चाहती। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का मतदान में भाग न लेना फिलिस्तीन का विरोध और इजरायल का खुला समर्थन है।

पाकिस्तान में नवाज शरीफ के फिर से सत्ता में आने की संभावना

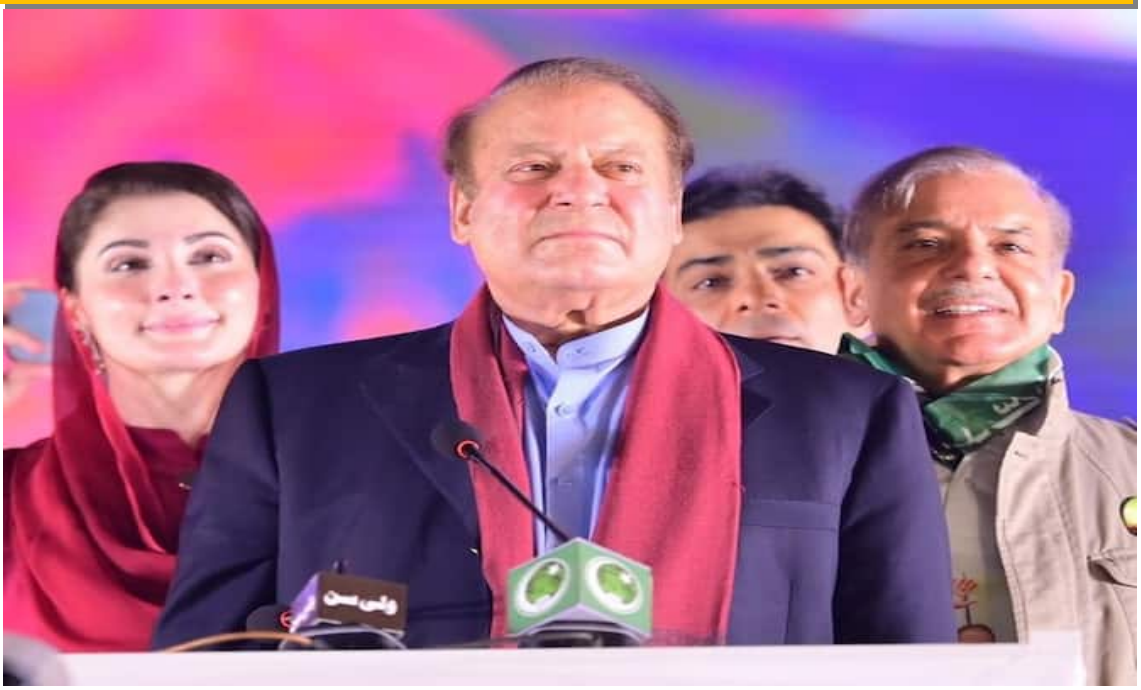

औरंगाबाद टाइम्स (22 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चार साल विदेश में व्यतीत करने के बाद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। फौजदारी मुकदमे की सुनवाई के दौरान वे इलाज करवाने के नाम पर लंदन चले गए थे और फिर उन्होंने वापस स्वदेश लौटने से इंकार कर दिया था। इस पर अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। शरीफ दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। वहां पर पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री आजम नजीर तरार और उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के कई नेता मौजूद थे। दुबई से पाकिस्तान आने के लिए हवाई जहाज पर सवार होने से पहले उन्होंने कहा कि वे स्वदेश आकर खुश हैं और वे जनवरी महीने में पाकिस्तान में होने वाले चुनावों में भाग लेंगे।

उर्दू टाइम्स (27 अक्टूबर) के अनुसार नवाज शरीफ ने लाहौर के मीनार-ए-पाकिस्तान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए

कहा कि वे पाकिस्तान की राजनीति में बढ़चढ़कर भाग लेंगे। पाकिस्तानी राजनीति के पर्यवेक्षकों का कहना है कि नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना उनके विरोधी इमरान खान का डटकर विरोध कर रही है और वह पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को दूर करने के लिए नवाज शरीफ को पुनः सत्ता में लाना चाहती है। पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में आज भी सेना किंगमेकर है और वह जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना सकती है।

उर्दू टाइम्स (25 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार केस में नवाज शरीफ को दी गई सजा पर रोक लगा दी है। अब इस केस के मामले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वे आने वाले चुनाव में बढ़चढ़कर भाग लेंगे। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब मंत्रिमंडल ने एक विशेष बैठक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के प्रमुख नवाज शरीफ को अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी है। पंजाब के कार्यवाहक सूचना मंत्री अमीर मीर ने कहा है कि पंजाब सरकार ने यह फैसला पाकिस्तान फौजदारी कानून की धारा 401 के तहत लिया है। नवाज शरीफ के खिलाफ इस समय चार मुकदमे इस्लामाबाद में चल रहे हैं, जिनमें वे जमानत पर हैं। 2019 में उन्हें स्वास्थ्य खराब होने के कारण इलाज करवाने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दी गई थी और तब से वे वहीं रह रहे थे।

सियासत (23 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इमरान खान सरकार के सत्ताकाल में नवाज शरीफ के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनसे बचने के लिए वे इलाज के बहाने विदेश में डेरा डाले हुए थे। अब जब इमरान खान सरकार का पतन हो गया है तो ऐसे में नवाज शरीफ पुनः अपनी किस्मत आजमाने के लिए पाकिस्तान आ चुके हैं। हाल के कुछ दशकों में यह देखा गया है कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति अनिश्चितता भरी रही है। इसके बारे में कुछ दावे से नहीं कहा जा सकता कि आज प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति कल कहां होगा और आज जो जेल में बंद है वह कब प्रधानमंत्री बना दिया जाए। पाकिस्तान आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो गया है और वहां की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो चुकी है। ऐसी स्थिति में नवाज शरीफ पुनः सत्ता में आने के बाद कोई करिश्मा दिखा पाएं इसकी संभावना कम ही नजर आती है। यह पाकिस्तान के हित में है कि वह पड़ोसी देशों और खास तौर पर भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारे।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहने वाले नवाज शरीफ के पुनः स्वदेश लौटने के बाद यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अब हमारे पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थिरता आए। इसमें कोई संदेह नहीं कि नवाज शरीफ अपने देश के लोकप्रिय और ताकतवर नेता रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि

विवादित पनामा पेपर्स के लीक होने के बाद पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था और उन पर यह भी पाबंदी लगा दी गई थी कि जब तक वे जिंदा हैं जन प्रतिनिधि के किसी भी पद को स्वीकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया था। बाद में इलाज के नाम पर वे ब्रिटेन चले गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि नवाज शरीफ के स्वदेश वापसी के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, क्योंकि सेना की मर्जी के बिना पाकिस्तान में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। पाकिस्तानी सेना के साथ मतभेद उत्पन्न होने के बाद इमरान खान को न केवल प्रधानमंत्री पद से ही हाथ धोना पड़ा, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना की आंखों की पुतली बन गए हैं।

इंडोनेशिया में आतंकियों के खिलाफ अभियान

इंकलाब (30 अक्टूबर) के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में अगले साल के प्रारंभ में आम चुनाव होने वाले हैं। गुप्तचर सूत्रों ने यह संभावना व्यक्त की है कि इन चुनावों को टालने के लिए आतंकी संगठन देशव्यापी हिंसा की ज्वाला भड़का सकते हैं। इसलिए इंडोनेशिया सरकार ने आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने के लिए सेना की सहायता से देशव्यापी कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय पुलिस के एक प्रवक्ता अहमद रमजान ने पत्रकारों को बताया कि देश भर में संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापों का सिलसिला जारी है और अभी तक 27 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों का संबंध स्थानीय आतंकी संगठनों से है। इससे पूर्व भी एक दर्जन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ में सेना को मिली जानकारी के बाद यह देशव्यापी कार्रवाई शुरू की गई है।

गौरतलब है कि 2017 में अमेरिकी सरकार ने इंडोनेशिया की कुख्यात इस्लामी आतंकी संगठन जमाह अंशारुत दौला (जेएडी) को आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। 2018 में इंडोनेशिया की सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार इस संगठन से जुड़े हुए इस्लामी आतंकी अब विभिन्न संगठनों के नाम से देश में पुनः सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में इंडोनेशिया में कट्टरपंथी इस्लामी हुकूमत को स्थापित किया जा सके।

फ्रांस में एक आतंकी द्वारा अध्यापक की हत्या

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार फ्रांसीसी नगर अर्रास में एक 20 वर्षीय मुस्लिम आतंकी मोहम्मद मोगुचकोव ने 57 वर्षीय एक अध्यापक डोमिनिक बर्नार्ड की चाकू मारकर हत्या कर दी है। यह आतंकी रूस के मुस्लिम बहुल प्रदेश चेचन्या का रहने वाला है। बताया जाता है कि इस आतंकी से अध्यापक को बचाने का दो अन्य लोगों ने प्रयास किया तो उन्हें भी इसने चाकू मारकर घायल कर दिया। इस आतंकी का आरोप है कि उसने इस फ्रांसीसी अध्यापक को इसलिए अपना निशाना बनाया, क्योंकि उसने रसूल का अपमान किया था। गौरतलब है कि फ्रांस में इस्लामी आतंकी सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं।

कुछ महीने पहले जब एक अल्जीरियाई मूल के युवक ने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद फ्रांस में राष्ट्रव्यापी दंगे भड़क उठे थे और इसमें अरबों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इस घटना को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सात हजार सैनिकों को तैनात कर दिया है। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। सेना को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर सकती है।

फिलिस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन करने वालों का वीजा रद्द करने की धमकी

इत्तेमाद (30 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि अगर वे सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले वे उन लोगों का वीजा रद्द कर देंगे, जो फिलिस्तीन के पक्ष में अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि फिलिस्तीन के समर्थकों ने अमेरिका में किसी भी नागरिक का एक कतरा भी खून बहाया तो उसके जवाब में वे उनका एक गैलन खून बहा देंगे। उन्होंने कहा

कि जो लोग आज यूक्रेन से आंखें चुरा रहे हैं, वे कल इजरायल को भी नजरअंदाज कर देंगे। उन्होंने

कहा कि हमास की हरकतों को कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति पसंद नहीं करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना गया तो पहले ही दिन अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दूंगा। हम कट्टरपंथी मुसलमानों को अपने देश से बाहर रखेंगे। ट्रम्प ने कहा कि मैंने पहले भी प्रतिबंध लगाए थे।

ट्रम्प ने कहा कि 2017 में मैंने ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, इराक और सूडान के निवासियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। मगर वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में सत्ता में आते ही इन प्रतिबंधों को रद्द कर दिया था। ट्रम्प नेवाडा के लास वेगास शहर में यहूदियों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इजरायली दोस्तों की इस तरह से रक्षा करूंगा, जैसा अभी तक किसी ने नहीं किया है। इजरायल और हमास का युद्ध सभ्य और असभ्य लोगों के बीच का है। यह अच्छाई और बुराई का युद्ध है। हम किसी भी तरह के इस्लामी आतंकवाद को किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे।

बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन

इंकलाब (30 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने राष्ट्रव्यापी उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला तेज कर दिया है। ढाका में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। विदेशी संवाद समितियों के अनुसार ढाका में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन में दो लाख के लगभग प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया था। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन सरकार विरोधी दो संगठनों ने किया था। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए यह जरूरी है कि शेख हसीना अपने पद से त्यागपत्र दें और इसके बाद एक सर्वदलीय राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए, जिसकी निगरानी में चुनाव करवाए जाएं।

प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के फेसबुक पेज पर लाइव फुटेज में हजारों प्रदर्शनकारियों को पुलिस की रबर की गोलियों से भागते हुए दिखाया गया है। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जबर्दस्त पथराव किया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रवक्ता फारूक हुसैन के अनुसार इस झड़प में एक पुलिस अधिकारी मारा गया और सौ से अधिक पुलिस वाले घायल हो गए। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों का आयोजन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी की ओर से किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा चलाई गई रबर की गोलियों से 50 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों और पुलिस चौकियों को भी आग के हवाले कर दिया है।

कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड

इंकलाब (27 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने भारतीय नागरिकों और उनके परिवारजनों को यह आश्वासन दिया है कि उनके संरक्षण के लिए हर तरह की कानूनी और राजनयिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन अधिकारियों को पिछले साल कतर में ही गिरफ्तार किया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला गोपनीय है, इसलिए इस पर और अधिक टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेन्द्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश शामिल हैं। इनमें से कंपनी के प्रबंध निदेशक पूर्णेंदु तिवारी को 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया था।

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए **सालार** (30 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पिछले साल कतर में हिरासत में लिए गए भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को सुनाई गई मौत की सजा ने पूरे देश को चौंका दिया है। भारत सरकार ने न सिर्फ इसका संज्ञान लिया है, बल्कि इस संबंध में जरूरी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इससे यह साफ है कि यह मुकदमा भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राजनयिक चुनौती साबित होने वाली है। इन भारतीय अधिकारियों की गिरफ्तारी का कारण अभी नहीं बताया गया है। मगर मीडिया के अनुसार इनको कतर के गुप्तचर विभाग ने पिछले साल अगस्त महीने में इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार

किया था। यह बात भी उल्लेखनीय है कि ये सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कतर में काम कर रहे थे और नौसेना में काम करने का इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि कोई भी देश अपनी न्याय व्यवस्था में विदेशी हस्तक्षेप को सहन नहीं करता। लेकिन इस मामले के संवेदनशील होने की असली वजह इसकी टाइमिंग है। कतर की अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरा मध्य पूर्व नाजुक दौर से गुजर रहा है। कतर में न केवल अमेरिका और तुर्किये के फौजी अड्डे हैं, बल्कि ईरान के साथ भी उसके करीबी संबंध हैं। वहां पर हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड और तालिबान के कई सर्वोच्च नेताओं का भी ठिकाना है। अल जजीरा न्यूज चैनल का मुख्यालय भी दोहा में है। हिंदुस्तान कतर की गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। वहां लगभग आठ लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। पिछले दो दशक से भारत और कतर के संबंध दिन-प्रतिदिन बेहतर हो रहे हैं। हालांकि, पिछले साल भाजपा की एक नेता नूपुर शर्मा के बयान के कारण कुछ खटास पैदा हो गई थी। लेकिन भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित करके इस मामले को बिगड़ने से रोक दिया था। मगर इजरायल-हमास युद्ध के वर्तमान माहौल में इस मामले को हिंदुस्तान के लिए कतर की हुकूमत के साथ सफलतापूर्वक सुलझा पाना कठिन होगा।

इत्तेमाद (28 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों का मामला उस समय मीडिया में चर्चित हुआ था, जब पिछले साल अक्टूबर महीने में डॉ. मीतू भार्गव नामक एक महिला ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा था कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कई दिनों से दोहा की जेल में बंद हैं। 54 वर्षीय मीतू एक आरोपी पूर्णेंदु तिवारी की बहन हैं। गौरतलब है कि 2020-21 में कतर के साथ भारत का व्यापार 9.21 अरब डॉलर का था। जबकि कतर में छह हजार से अधिक छोटी-बड़ी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। भारत सरकार और कतर के संबंधों के आधार पर इस बात की संभावना है कि ये भारतीय स्वदेश लौट आएं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को भारत वापस लाया जाए। ओवैसी ने कहा है कि स्वयं को विश्वगुरु कहलाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी तक इन आरोपियों को वापस स्वदेश नहीं ला सके हैं। इनकी जान बचाने के लिए सरकार को गंभीरतापूर्वक प्रयास करना चाहिए।

हमारा समाज (28 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि भारतीय मीडिया ने विलाप करते हुए कतर की अदालत के इस फैसले को आश्चर्यजनक करार दिया है। टीवी चैनलों पर इस तरह से मामला पेश किया जा रहा है जैसे आसमान फट पड़ा हो। हालांकि, खुद सरकार ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि सजा पाने वाले सभी आरोपी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जिन्हें कतर की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। साफ है कि सरकार को इस बात की पहले से ही जानकारी थी और वह उनकी रिहाई का प्रयास भी कर रही थी। आमतौर पर किसी भी देश के एजेंट जब जासूसी के आरोप में पकड़े जाते हैं तो सरकारें इसे 'टॉप सीक्रेट' रखती हैं। इसलिए इस मामले पर भारतीय मीडिया में इतना हंगामा नहीं होना चाहिए था। अगर नौसेना के उन पूर्व अधिकारियों को झूठे आरोप में इतनी कड़ी सजा दी गई है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वर्तमान भारत सरकार कतर सहित अरब देशों के 'गुड बुक' में नहीं है।

समाचारपत्र का कहना है कि भारतीय मीडिया जो दिन रात यह दुष्प्रचार करती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अरब देशों में बेहद लोकप्रिय हैं तो यह बात बिल्कुल झूठी है। एक

ऐसा देश जिससे नरेन्द्र मोदी के घनिष्ठ संबंध हो, वही देश भारतीय नागरिकों को जासूसी जैसे आरोप में मौत की सजा दे तो यह बात गले से उतरने वाली नहीं है। सवाल यह है कि इस मामले को मीडिया 'प्राइम खबर' क्यों बना रहा है? इस खबर के आते ही देश के राष्ट्रीय टीवी चैनलों की सक्रियता देखने लायक थी। हर टीवी चैनल पर अरब देशों के कथित विशेषज्ञ अपने बयान देने में लगे हुए थे और काफी समय तक यह बवाल होता रहा। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इस्लामोफोबिया के तहत मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का एक अच्छा बहाना भारतीय मीडिया के हाथ लग गया है।

सहाफत (30 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नौसेना के जिन आठ पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा दी गई है वे एक प्राइवेट कंपनी 'दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज' के लिए काम करने कतर गए थे। यह कंपनी कतर की नौसेना को प्रशिक्षित करती है। इन अधिकारियों को पिछले साल इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया था। उन्होंने कई बार जमानत की याचिकाएं दीं। मगर उन्हें हर बार रद्द कर दिया गया। इस फैसले को हमास और इजरायल के बीच जारी जंग के दौरान भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार खुलेआम इजरायल का समर्थन कर रही है। कतर एक कट्टर इस्लामी देश है। वहां के कानून के मुताबिक जासूसी के लिए सजा-ए-मौत है। अब यह भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपने इन नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील करे। हाल ही में इजरायल से भारत की घनिष्ठता बढ़ गई है और इससे कतर समेत पूरा इस्लामी जगत भारत से नाराज है। कतर फिलिस्तीन का समर्थक है और इजरायल उसे पसंद नहीं है। वह इस्लाम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करता है। हालांकि, यह चर्चा भी गरम है कि कतर ने यह कदम पाकिस्तान के उकसावे पर उठाया है।

इजरायल–हमास युद्ध

रोजनामा सहारा (31 अक्टूबर) ने अपने समाचार का शीर्षक दिया है, "इजरायली फौज टैंकों के साथ गाजा में दाखिल।" "हमास के लड़ाकों से खूनी झड़पें।" "अमेरिका जंग के लिए अपने फौजी इजरायल नहीं भेज रहा है।" "हमास के जेनिन ब्रिगेड का प्रमुख इजरायली हमले में मारा गया।"

रोजनामा सहारा (28 अक्टूबर) ने इजरायल-हमास युद्ध से संबंधित समाचारों को मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया है,

जिसका शीर्षक है, "इजरायल का दूसरी बार गाजा पर जमीनी हमला।" "हमास के पांच कमांडरों के मारे जाने का दावा।" "इजरायली हमले में 50 बंधक मारे गए।" "बाइडेन के आदेश पर सीरिया में ईरानी ठिकाने पर हमले।"

इंकलाब (31 अक्टूबर) ने अपने समाचार का शीर्षक दिया है, "गाजा में दाखिल यहूदी फौज को भीषण विरोध का सामना करना पड़ा।" "गाजा में साढ़े आठ हजार लोग शहीद और 21 हजार जख्मी।" समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि इजरायल के ताजा हमले में 500 से अधिक इमारतों को निशाना बनाया गया है। जबकि इजरायल का दावा है कि इन भवनों में हमास के गुप्त अड्डे थे और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

रोजनामा सहारा (30 अक्टूबर) ने अपने समाचार का शीर्षक दिया है, "उतरी गाजा में भीषण युद्ध।" "इजरायल का तुर्किये से राजनयिक बुलाने का फैसला।" "फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने की अरब लीग का आपताकालीन अधिवेशन बुलाने की मांग।"

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अक्टूबर) का शीर्षक है, "गाजा में बमबारी से 400 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चे शहीद।" "दो हफ्ते की बमबारी के दौरान 3000 बच्चे शहीद और पांच हजार से अधिक जख्मी।"

सालार (22 अक्टूबर) का कहना है कि इजरायल ने अपने नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द मुस्लिम देशों से बाहर आ जाएं। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इजरायली नागरिकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे किसी भी अरब देश में न जाएं।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 अक्टूबर) का कहना है कि हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ने 31 अमेरिकी और 35 फ्रांसीसियों को मार दिया है।

औरंगाबाद टाइम्स (31 अक्टूबर) का शीर्षक है, "इजरायल के परमाणु अड्डों पर हमास का हमला।"

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अक्टूबर) का शीर्षक है, "मस्जिद अल-अक्सा में मुसलमानों का दाखिला बंद।" "16 पत्रकारों के मारे जाने की खबर।"

उर्दू टाइम्स (30 अक्टूबर) का शीर्षक है, "इजरायल रेड लाइन पार कर चुका है, अब वह हमारे जवाब का इंतजार करे- ईरान।"

इत्तेमाद (26 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसके समर्थक संगठनों ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो उसका जबर्दस्त जवाब दिया जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (18 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में अरब देशों की आलोचना करते हुए कहा है कि अरब देश सिर्फ जबानी धमकियां दे रहे हैं और वे इजरायल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज इजरायल गाजा को तबाह कर रहा है। अगर ईरान भी चाहता तो वह अपने लड़ाकू संगठनों द्वारा लेबनान और सीरिया में मोर्चा खोलकर इजरायल को सबक सिखा सकता था। मगर सिर्फ मीडिया में हवाई फायरिंग हो रही है। यह वही ईरान है जिसके लड़ाकू संगठनों ने इराक और सीरिया में बशर अल-असद को बचाने के लिए एक पल की भी देरी नहीं की थी और उसके हस्तक्षेप के कारण 20 लाख सीरियाई मुसलमानों को अपने घर छोड़कर अरब देशों और विदेशों में शरण लेनी पड़ी। समाचारपत्र ने सऊदी

अरब के रूख की भी आलोचना की है और कहा है कि ऐसा लगता है कि सऊदी अरब अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है।

उर्दू टाइम्स (24 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारतीय मुसलमान फिलिस्तीन के साथ हैं। मगर भारत एक ओर तो इजरायल का समर्थन कर रहा है, दूसरी ओर फिलिस्तीनियों को सहायता सामग्री भी भेज रहा है। भाजपा के नेता खुलेआम इजरायल का समर्थन कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसके साथ ही वे हमास को आतंकी संगठन भी घोषित कर रहे हैं।

सालार (17 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका इस्लाम विरोधी रूख के कारण इजरायल की आड़ में परोक्ष रूप से युद्ध लड़ रहा है।

सालार (19 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जो भी देश इजरायल का समर्थन करता है वह इस्लाम का दुश्मन है।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इजरायल और हमास के युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति के रवैये की निंदा की है।

सियासत (19 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल फिलिस्तीनियों पर कहर बरपा रहा है और पूरी दुनिया उसे खामोशी से देख रही है। जरूरत इस बात की है कि दुनिया भर के मुस्लिम देश एकजुट होकर ठोस कार्रवाई करें। केवल बैठकें करने और इजरायल से शांति की अपील करने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया भर के मुसलमानों को यह साफ कर देना चाहिए कि वे फिलिस्तीनियों के साथ हैं। यह उनका इस्लामी फर्ज है और इसमें वे कभी कोई कोताही नहीं करेंगे।

सद्दाम हुसैन की बेटी को सात साल की सजा

उर्दू टाइम्स (25 अक्टूबर) के अनुसार इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की बड़ी बेटी रगद हुसैन को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। संवाद समितियों के अनुसार यह सजा बगदाद की एक फौजदारी अदालत ने सुनाई है। उस पर यह आरोप है कि वह प्रतिबंधित संगठन 'बाथ पार्टी' को फिर

से सक्रिय करने का प्रयास कर रही है। उस पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने 2021 में मीडिया को दिए इंटरव्यू में अपने पिता की पार्टी 'बाथ पार्टी' की विचारधारा का प्रसार किया और सोशल मीडिया पर भी इस संदर्भ में कई पोस्ट प्रसारित किए। जबकि इराक सरकार 2003 में ही इस पार्टी को गैरकानूनी

करार दे चुकी है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि इराकी संसद ने 2016 में एक कानून पारित करके इस पार्टी पर लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि कर चुकी है। रगद हुसैन को यह सजा उसकी गैरहाजिरी में सुनाई गई है। गौरतलब है कि बाथ पार्टी ने 1968 से लेकर 2003 तक इराक पर शासन किया था। इसके बाद अमेरिका ने उसकी सरकार का तख्ता पलट दिया था। बाद में अमेरिका के प्रयास से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके उसे फांसी पर लटका दिया गया था।

इजरायल–हमास के युद्ध से तेल के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना

रोजनामा सहारा (25 अक्टूबर) के अनुसार विश्व विख्यात अर्थशास्त्री जेमी डाइमन ने कहा है कि इजरायल और हमास के युद्ध से जो स्थिति पैदा हुई है, उससे विश्व की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा और इससे तेल के मूल्यों में भी वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि गाजा पर इजरायल के हमले से स्थिति और अधिक खराब होगी और युद्ध कई नए देशों में भी फैल सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जगत को तत्काल इजरायल-फिलिस्तीन विवाद का राजनीतिक हल खोजने का प्रयास करना चाहिए। इस सिलसिले में पहला कदम यह होगा कि हमास को नि:शस्त्रीकरण किया जाए। इस संकट को टालने के लिए इजरायल और सऊदी अरब के बीच सहयोग में वृद्धि करना बेहद जरूरी है।

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है इजरायल और हमास का युद्ध विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया भर में कर्ज लेने के खर्चे में भारी वृद्धि हो रही है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज विश्व की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हम एक बेहद खतरनाक दोराहे पर खड़े हैं। उभरती हुई मंदी को देखते हुए सिर्फ ऊर्जा के लिए ही दस खरब डॉलर की जरूरत है। मगर यह धनराशि सरकारी खजानों और बैंकों में नहीं है। इसलिए इस संकट की गंभीरता को नजरंअदाज नहीं करना चाहिए।

कुवैत में भ्रष्टाचार के आरोप में सात न्यायाधीशों को सजा

इंकलाब (22 अक्टूबर) के अनुसार कुवैत की एक अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में सात न्यायाधीशों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है और उन्हें रिश्वत की धनराशि को फौरन वापस लौटाने का आदेश दिया है। समाचारपत्र का कहना है कि कुवैत में फौद सालेही नामक एक व्यापारी को अगस्त 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पकड़ा गया था। उस पर यह आरोप था कि उसने विभिन्न मुकदमो में अदालत से अपनी मनमर्जी के फैसले सुनवाने के लिए आठ न्यायाधीशों को रिश्वत दी थी। जांच के बाद इस मामले में एक वकील और कुछ विभागों के अध्यक्ष भी रिश्वत लेने के आरोप में लिप्त पाए गए। अदालत ने दोषी वकील को दस साल और विभागों के प्रमुख को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक न्यायाधीश और अदालतों के तीन कर्मचारियों को रिश्वत लेने के आरोप से बरी कर दिया गया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

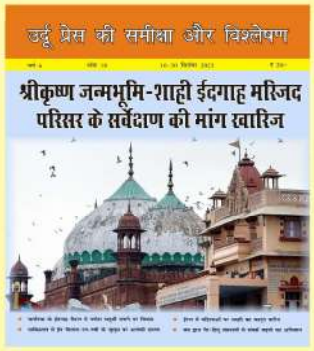

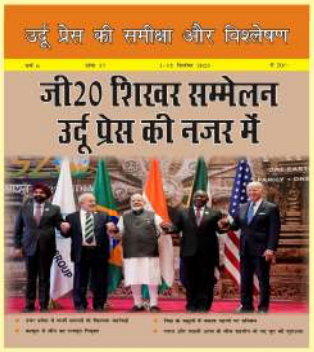

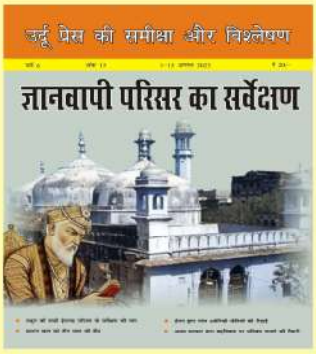

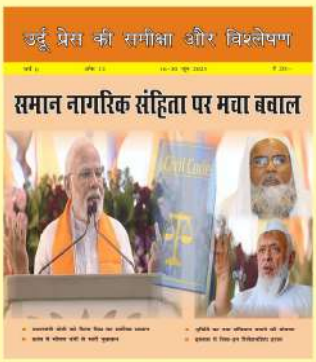

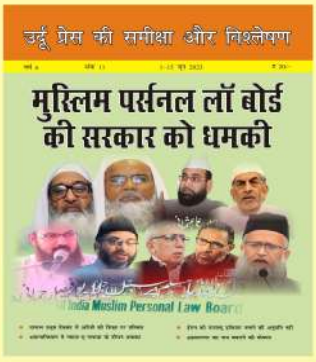

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in